महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – चौरानबेवां संस्करण (माह जुलाई, 2024)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम
3. ग्राम पंचायत पाटोदा, जिला ओरंगाबाद, महाराष्ट्र स्मार्ट गांव सरपंच श्री भास्कर पेरे की पहल
4. देश के 80 करोड़ से अधिक लोगो को मिल रहा अन्न योजना का वरदान
5. वर्षा जल संचयन
6. पंचायतों द्वारा स्वंय के संसाधनो से आय
7. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्थान में योग दिवस का आयोजन

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री के.बी. मालवीय,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौरानबेवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2024 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जिला दमोह में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधे रोपित किये गये। जिसे '' **'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम**'' एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर में 21 जून 2024 को योग दिवस मनाया गया। जिसे **''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्थान में योग दिवस का आयोजन**'' समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसे साथ–साथ संस्करण में **''ग्राम पंचायत पाटोदा, जिला ओरंगाबाद, महाराष्ट्र स्मार्ट गांव सरपंच श्री भास्कर पेरे की पहल''**, **''देश के 80 करोड़ से अधिक लोगो को मिल रहा अन्न योजना का वरदान''**, **''वर्षा जल संचयन''** एवं **''पंचायतों द्वारा स्वंय के संसाधनो से आय''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

के.बी. मालवीय
संचालक

''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम

माननीय मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान के अंतर्गत जिला दमोह विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 12000 से अधिक पेड़ लगाये गये।

इस कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुये कहा कि प्रकृति मां की तरह होती है, जो बिना किसी अपेक्षा के अपनी संतति को कुछ ना कुछ देती रहती है। लेकिन यह हमारा दायित्व है कि हम प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए अपने हिस्से का कार्य

भी करते रहें।

दमोह जिले के ''जरारूधाम गौ अभ्यारण'' में पौधारोपण अभियान में माननीय सांसद, श्री राहुल सिंह जी,

विधायक माननीया श्रीमती उमादेवी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल जी, श्री गोपाल पटेल जी, संस्थान के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र बजाज जी, सचिव आचार्य श्री जगेन्द्र सिंह जी एवं कोषाध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी की उपस्थित रहे।

''नर्मदा खंड सेवा संस्थान'' द्वारा ''जरारूधाम गौ अभ्यारण'' में पौधों का रोपण सबने मिलकर कर किया एवं पौधे लगाकर वृक्ष बनने तक सेवा का संकल्प लिया है तथा पौधे लगाकर अगले वर्ष गिनती करने की नैतिक जिम्मेदारी ली है। कार्यक्रम के पश्चात माननीय मंत्री जी ने उपस्थित सहयोगियों का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त किया।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

ग्राम पंचायत पाटोदा, जिला ओरंगाबाद, महाराष्ट्र
स्मार्ट गांव सरपंच श्री भास्कर पेरे की पहल

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पाटोदा ग्राम पंचायत में जिसका जितना बड़ा घर है। उसका उतना ही ज्यादा टैक्स लगता है लेकिन लोग यहां पर खुशी–खुशी टैक्स जमा करते हैं इस गांव में सभी लोग टैक्स जमा करते हैं।

महाराष्ट्र का पाटोदा गांव कई वर्षो पहले ही खुले में शौच मुक्त हो चुका था और जहां सब लोग टैक्स भरते हैं। यह सफलता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आईये पढ़ते हैं महाराष्ट्र के पहले स्मार्ट गांव के बारे में।

देश में अब स्मार्ट सिटी बनाने की संकल्पना शुरू हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का एक गांव कई सालों पहले ही स्मार्ट गांव बन चुका था। यह गांव वर्ष 2005 में ही खुले में शौच मुक्त हो चुका था। यह ऐसा गांव है जहां पर हर व्यक्ति टैक्स भरता है। सुरक्षा के लिहाज से इस गांव में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं।

इसके अलावा मुफ्त में आटा पीसने की चक्की भी नागरिकों के लिए लगवाई गई है। कचरा निस्तारण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर घर के बाहर दो कचरा पेटी रखी जाती है। जिसमें से एक में सूखा कचरा और दूसरे में गीला कचरा रखा जाता है।

ग्राम पाटोदा महाराष्ट्र का स्मार्ट गांव

महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 12 किलोमीटर दूर राज्य का यह स्मार्ट गांव पाटोदा है। यह सामान्य गांव नहीं बल्कि एक स्मार्ट गांव के रूप में पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश में जाना जाता है। इस गांव में आपको हर वह सुविधा मिल जाएगी। जिसके दरकार आपको देश के बड़े–बड़े शहरों में रहती है। गांव के सरपंच भास्कर पेरे अपनी टीम के साथ कई वर्षों से गांव को बेहतरीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं।

गांव का हर घर टैक्सपेयर

मौजूदा दौर में जब सरकार को नागरिकों से टैक्स भरने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं। तब भी इस गांव ने एक मिसाल देश की है। आपको जानकर हैरानी होगी

लेकिन यह 100 फीसदी सच है। इस गांव के सभी लोग शत–प्रतिशत टैक्स भरते हैं। जिसके बदले में ग्राम पंचायत भी उन्हें कई सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। जिसमें गेंहू की पिसाई दाल की पिसाई, मिर्च की पिसाई, सेवाएइयाँ बनाना, मसालों की पिसाई जैसी कई सुविधाएं प्रमुख हैं।

गांव के सरपंच बताते हैं कि मुफ्त में गेंहू की पिसाई का देश में यह पहला प्रयोग है। 750 परिवारों वाले इस गांव की आबादी तकरीबन 3500 के आसपास है। साल भर में करीबन 30 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा होते हैं।

सीसीटीवी, वाईफाई से युक्त और गंदगी मुक्त है पाटोदा

सरपंच भास्कर पेरे ने बताया कि गांव में सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर घूमने फिरने के बाद यह पाया कि गंदगी पर नियंत्रण और उसका निस्तारण करना बेहद जरूरी है।

इसलिए हमने हर घर के बाहर दो छोटे–छोटे कचरा पेटी भी रखवाई है। जिसमें गांव के नागरिक गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालते हैं और उसके बाद इस कचरे को इकट्ठा कर उससे भी खाद बनाई जाती है। गांव में हर गली के मुहाने पर एक वाश बेसिन भी लगाया गया है। ताकि आते जाते हुए भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर सके और स्वस्थ रह सके। गांव में हाई स्पीड वाईफाई भी लगा हुआ है।

ग्राम पंचायत भवन में सेनेटरी पेड नेपकिन वेन्डिगं मशीन के माध्यम से सेनेटरी पेड लिये जा सकते हैं।

ग्रामीणों के लिए निशुल्क पानी की सुविधा

शहरों में पीने के पानी की समस्या नागरिकों को अक्सर उठानी पड़ती हैं। लेकिन पाटोदा गांव में यह तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। इस गांव में नागरिकों को मुफ्त में ठंडा और गर्म पानी चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं एमआईडीसी की तरफ से भी 24 घंटे पानी की सुविधा इस गांव में उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके लिए गांव के हर घर के बाहर नल लगे हुए हैं और पास में ही मीटर लगा हुआ है।

आदमी जितना पानी इस्तेमाल करता है उतनी रीडिंग मीटर में अंकित हो जाती है। नागरिकों को आरओ का मुफ्त पानी भी उपलब्ध करवाया जाता है। एक नागरिक को 20 लीटर पानी दिया जाता है। जिसके लिए उन्हें एक स्मार्ट कार्ड भी दिया गया है। जिसकी मदद से वह खुद जाकर मशीन से आरो का पानी लेते हैं।

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर अधिक जोर

गांव की सरपंच भास्कर पेरे बताते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने गांव में सोलर एनर्जी का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करने का फैसला किया था। जिसके जरिए अब गांव में नागरिकों को गर्म पानी मुहैया कराने के लिए इसी सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल होता है। सड़कों पर लाइट और घरों की लाइट ज्यादातर सोलर एनर्जी से ही जलती है। इससे बिजली की भी बचत होती है और पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होता।

महिला पुरुष बराबरी का संदेश

औरंगाबाद के पाटोदा गांव की एक खासियत यह भी है कि यहां हर घर के दरवाजे पर एक नेमप्लेट लगवाई जाती हैं। उस नेमप्लेट पर घर के मुखिया और उनकी पत्नी का नाम लिखवाया जाता है। इसके जरिए गांव में महिलाओं और पुरुषों में समानता का संदेश दिया जाता है।

बच्चों की पढ़ाई के लिए एक आधुनिक आंगनबाड़ी है। जहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा गांव में मौजूद जिला पंचायत स्कूल में भी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्रोजेक्टर के जरिए भी बच्चों को शिक्षा इस गांव में दी जाती है।

बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान

गांव में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों का भी पंचायत की तरफ से विशेष ध्यान रखा जाता है। गांव में जगह जगह पर बुजुर्गों के आराम के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। गांव में जिन लोगों की देखरेख के लिए कोई नहीं है। उनके लिए भी पंचायत पूरा खर्च उठाती है और उनका ध्यान रखती है।

चौक पर लगा डिजिटल बोर्ड, पूरा गांव मिलकर मनाता है जन्मदिन

गांव के चौक पर एक डिजिटल बोर्ड भी लगाया गया है। जिसमें गांव की पूरी जनसंख्या और उसमें रहने वाले महिला पुरुषों की संख्या दिखाई जाती है। इसके अलावा गांव में जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन होता है। उसके जन्मदिन को भी इस डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाया जाता है। जिसके जरिए पूरा गांव उस व्यक्ति का जन्मदिन मिलकर मनाता है। इस प्रकार लोगों के बीच में प्यार और भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होता

गांव में एक बूंद पानी को वेस्ट नहीं होने दिया जाता है। गांव दूषित पानी को भी ट्रीटमेंट देकर उसका खेती में इस्तेमाल किया जाता है। गांव में शमशान भूमिका भी निर्माण करवाया गया है। गांव जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है उसके स्मृति चिन्ह के रूप में उनके नाम को वहां बनवाई गयी कुर्सियों पर अंकित करवाया जाता है।

गड्ढा मुक्त सड़कें

मायानगरी मुंबई की सड़कों पर भी आपको गड्ढे मिल सकते हैं। लेकिन गांव के रहने वाले दिलीप पेरे बताते हैं कि हमारे गांव में सभी सड़कें पेवर ब्लॉक से बनाई गई हैं और यहां पर आपको ढूंढने से भी सड़क पर गड्ढा नहीं मिलेगा। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल यहां पर सैकड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। जिसके चलते यह गांव आपको हमेशा हरा–भरा नजर आता है। देश की 11 बेहतरीन ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत पाटोदा की भी मानी जाती है।केंद्र सरकार से यह सम्मान इस ग्राम पंचायत को भी प्राप्त हुआ है। देश भर की ग्राम पंचायतों से कई प्रतिनिधिमंडल अक्सर पाटोदा आते रहते हैं। ताकि वह भी अपने गांव और ग्राम पंचायत को ऐसा ही खुशहाल और हरा–भरा बना सकें।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

देश के 80 करोड़ से अधिक लोगो को मिल रहा अन्न योजना का वरदान

मनुष्य को जीने के लिए पहली आवश्यकता है भोजन । भारत के संविधान मे देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की बडी जिम्मेदारी है लेकिन आजादी के इतने वर्षो बाद भी गरीब व्यक्ति अपना भोजन जुटाने मे सक्षम नही था। वह अपनी आधारभूत जरूरत को पूर्ण न कर पाने से व्यथित था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर गरीब के भोजन की समस्या का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप देश के 80 करोड़ से अधिके निर्धनजनों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2014 मे दायित्व ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सकंल्प लिया था। उसी क्रम मे कई योजनाओ को भी लागू किया और क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्वता भी सुनिश्चित की गयी। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न के लिये खर्च किये जाने वाले पैसों की चिंता से मुक्त करना साधारण कार्य नही है। इतने बड़े फलक पर ले जाने का असाधारण कार्य केन्द्र सरकार ने कर दिखाया।

निःशुल्क अन्न के वितरण की शुरूआत कोरोना काल मे की गयी थी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के समय जब सब कुछ बंद था। तब प्रधानमंत्री ने हर दिन हाथ से कमा कर खाने वालो की सबसे पहले चिंता की और गरीब के भोजन की व्यवस्था की। राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से घर घर मुक्त अन्न पहुंचाया और कामकाज बंद होने की स्थिति किसी गरीब को भूखा नही सोने दिया । कोरोना काल मे केन्द्र सरकार की इस योजना ने करोड़ो लोगो को भूख से बचाया और लोकहित मे केन्द्रीय नेतृत्व की अनूठी मिसाल कायम की। वर्तमान चरण मे इस योजना को अगले पॉच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया। अब वर्ष 2028 तक देश के हितग्राहियो को भोजन के लिये निःशुल्क अन्न प्रदान किया जायेगा। केन्द्र

सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक कदम है। इससे हर गरीब के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित है। ताकि इस श्रेणी के लोग आत्मनिर्भरता की दिशा मे अपने कदम बढ़ा सके।

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियो को निशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने को मंजूरी दी। इससे लाखों पात्र परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

नए योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इस योजना में 80 करोड़ से अधिक अत्यंत गरीब लोगो को लाभांवित किया जा रहा है। यह एकीकृत योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों तक खाद्यान्न की पहुॅच वहीनयता और उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने मे प्रभावी कदम है।

मध्यप्रदेश मे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की स्थिति

प्रदेश मे यह योजना खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही है। इसमे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतंर्गत सार्वजनिक वितरण प्राणाली मे 28 श्रेणियेा के 127.69 लाख परिवारो के 5.37 करोड़ लोगो को शामिल किया गया है। जिसमे प्रतिमाह अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारो को 35 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश के 6 राज्यो पंजाब हरियाणा राजस्थान चंढीगढ़ दिल्ली और गुजरात मे गेहूॅ प्रदान किया जाता है तथा शेष राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों मे चावल उपलब्ध कराया जाता है।

क्या है पात्रता

अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार इस योजना के लिये पात्र है।

योजना मे विषेषता

प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखण्डों मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतंर्गत शामिल पात्र परिवारों को आयरन एंव फोलिक एसिड की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक परिवार को एक रूपये किलो की दर से डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण 33 जिलों मे किया जा रहा है।

इसमे सम्मिलित पात्र परिवारों को आयरन एंव फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए माह जनवरी 2023 से प्रदेश के सभी जिलों मे फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना

इस योजना से जहां ग्रामीणो के गांव तक राशन पहुंचाया जाता है वहीं राशन पहुंचाने के कार्य मे लगे अनुसूचित जनजाति के युवाओ को रोजगार प्राप्त है।

योजना के तहत मध्यप्रदेश के 20 जिलो के 89 जनजातीय विकासखण्डों में शामिल ग्रामों में राशन सामग्री पहुॅचाने के साथ गांव में ही वितरित की जाती है। यह कार्य अनुसूचित जनजाति के युवकों द्वारा किया जाता है। इसमें विकासखंण्डो में आने वाले 6 हजार 575 गांवों में लगभग 7.13 लाख परिवारों कों गांव में ही राषन वितरित किया जाता है। राशन सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन के लिए प्रति हितग्राही 2 से 3 लाख रूपये मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। वितरण कार्य करने वाले हितग्राहियों को 1 टन वाहन क्षमता के लिये 24 हजार तथा 2 टन वाहन क्षमता के लिये 31 हजार रूपये मासिक किराया का भुगतान किया जा रहा है। इस तरह इस योजना से 472 सेक्टरो में जनजाति वर्ग के बेरोजगारो को वाहन प्रदान कर वितरण का कार्य किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को अपने गांव में ही राशन जनजातियो के लोगो को रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिन वाहनो से राशन वितरित किया ता रहा है इसकी मानिटरिंग के लिए वाहनों जीपीएस लगाए गए हैं। गांव मे वितरित किये गये राषन की जानकारी पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

कम्प्यूटरीकरण और राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था

इसके अन्तर्गत शामिल हितग्राहियों की पहचान सुनिष्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई गई है। इसके द्ववारा हितग्राही की ई केवाईसी की जाती हैं। अभी तक 3.31 करोड़ हितग्राहियों की ई–केवाईसी की जा चुकी है । पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानो से राशन वितरण के समय पीओएस मशीन से जारी होने वाली पावती एंव प्रदाय सामग्री का वितरण प्राप्त होता हैं। साथ ही हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा वितरित सामग्री की जानकारी भी दी जा रही हैं। अभी तक प्रदेश के 113.58 लाख परिवारो के डेटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज किये जा चुके हैं।

कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए पात्र परिवारो की पहचान सुनिश्चित कर राशन वितरित करने के लिए बॉयोमेटिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरित किया जा रहा हैं। यदि किसी वृद्वजन अथवा निशक्तजन या फिर मजदूर हितग्राही को बॉयोमेटिक सत्यापन करने मे समस्या आती हैं तो उनके मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

प्रदेश मे वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अतंर्गत राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल सभी परिवार प्रदेश की लगभग 26 हजार 767 तथा अन्य राज्यो की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। वर्ष 2022 से अभी तक राज्य अतंर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लगभग 1 99 करोड़ परिवारो को एंव अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 4.30 लाख परिवारो को (अन्य राज्य एंव प्रदेश में) राशन प्रदाय किया गया हैं।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य की दुकानो तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य अब ठेकेदारो से नही करवाया जा रहा है। अन्न परिवहन का युवाओं के द्ववारा करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गयी है। इसके तहत लगभग 900 बेरोजगार युवको को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति से 7.5 मेटिक टन क्षमता के वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे। अभी तक 752 हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। इनके द्ववारा राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा हैं। सरकार द्ववारा रूपये 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी 3 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवको को रोजगार मिलने के साथ साथ सामग्री का परिवहन भी त्वरित गति से किया जा रहा हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण से गरीब तथा निर्धन परिवार को आधारभूत खर्च के बोझ से मुक्त किया है। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्ववारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिये सरकार की प्रतिबद्वता को प्रदर्शित करता हैं यह योजना आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिये किये जाने वाले प्रयासो मे से एक है। इससे जहॉ देश के हर गरीब और निर्धन के लिये भोजन की व्यवस्था हुई है वही आत्मनिर्भरता की और बढते कदमों मे इस वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई हैं।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम वर्षा के पानी को संग्रहित करके उसका उपयोग बाद में करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के पानी संसाधन को सुरक्षित रखने में मदद करती है और साथ ही पानी की कमी को भी कम करती है।

वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को संकलित करना है ताकि इसका उपयोग बाद में किया जा सके। इसके लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जैसे कि रेनवाटर, तालाब, नाले आदि। ये सभी उपाय बचाव और संचयन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वर्षा जल का महत्व बहुत सारे कारणों से है, जो हमारे जीवन और पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण बताए जा रहे हैं –

- जीवन के लिए अनिवार्य रू वर्षा जल हमारे लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी जीवन जो पृथ्वी पर है, उनके लिए पानी अत्यंत आवश्यक है और वर्षा जल इसका मुख्य स्रोत है।
- जल संसाधन का संरक्षण रू वर्षा जल का संचयन करने से हम जल संसाधन का संरक्षण करते हैं। यह हमें जल की कमी से बचाता है और स्थिरता उपलब्ध कराता है।
- कृषि और खेती के लिए महत्वपूर्ण रू वर्षा जल का संचयन कृषि और खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अनाज उत्पादन में सहायक होता है और किसानों की आय को बढ़ाता है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव रू वर्षा जल का संचयन जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित है। यह हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाता है और सामाजिक–आर्थिक संरक्षण में मदद करता है।
- जल प्रदूषण की रोकथाम रू वर्षा जल का संचयन जल प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। यह प्राकृतिक जल संसाधन का सबसे साफ और उपयुक्त स्रोत होता है।
- पारिस्थिति का विकास रू वर्षा जल का संचयन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जल के संसाधन को सुरक्षित रखता है और पारिस्थिति का विकास में मदद करता है।

इन सभी कारणों से वर्षा जल का संचयन और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए न केवल जीवन की सुरक्षा और स्थिरता लाता है, बल्कि पृथ्वी के लिए भी एक स्थायी और संतुलित परिस्थिति सुनिश्चित करता है।

वर्षा जल संचयन का अन्य एक उदाहरण रेनवाटर है। रेनवाटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छत से बरसने वाले पानी को संग्रहित किया जाता है और फिर इसे घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक पर्यावरणीय और सामाजिक उपाय है जो पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है।

वर्षा जल संचयन की दूसरी विधि में तालाब और बांध शामिल हैं। ये बड़े पैमाने पर पानी को संचित करके रखते हैं और बाढ़ आने पर यह पानी आवश्यकता के हिसाब से उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। इसके अलावा, नाले और झीलें भी वर्षा के पानी को संचित कर सकती हैं और खेती और पेयजल के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

वर्षा जल संचयन का महत्व बढ़ता हुआ जा रहा है जबकि पानी की कमी और वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस प्रकार के सामाजिक और पर्यावरणीय उपाय हमारे भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा

ग्राम पंचायत में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कार्य दिए जा रहे हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा किए जा सकते हैं –

- जागरूकता कार्यक्रम आयोजन रू ग्राम पंचायत को वर्षा जल संचयन के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इसमें गाँव के लोगों को वर्षा जल संचयन के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें इसके लाभों के बारे में बताया जाता है।
- रेनवाटर रू ग्राम पंचायत द्वारा छतों पर रेनवाटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका होता है जिससे वर्षा का पानी संग्रहित किया जा सकता है और इसका उपयोग गाँव की जरूरतों के लिए किया जा सकता है।
- तालाबों की संरक्षा और संचालन रू ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर छोटे तालाबों की स्थापना करके वर्षा जल को संचित करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इन तालाबों को गाँव की जल संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- स्कूलों में शिक्षा कार्यक्रम रू ग्राम पंचायत स्कूलों में वर्षा जल संचयन के महत्व को समझाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इसके माध्यम से छोटे बच्चों को वर्षा जल संचयन के फायदे समझाए जा सकते हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा सकता है।
- कॉम्युनिटी संगठन और सहयोग रू ग्राम पंचायत को स्थानीय कॉम्युनिटी ,स ,च जी संगठनों के साथ मिलकर काम करके वर्षा जल संचयन के प्रोजेक्ट को अनुगामी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ती है और प्रोजेक्ट की सफलता में मदद मिलती है।

ग्राम पंचायत इन कार्यों को करके वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित कर सकती है और गाँव की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। इससे न केवल वातावरण का संरक्षण होगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सुधार आएगा और समुदाय का समृद्धि के पथ पर कदम बढ़ाया जा सकेगा।

जल संरक्षण में बडे बांधों के खतरे

जल संरक्षण में बांधों के खतरे विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं, जिन्हें हमें समझना और समाधान करना आवश्यक है। यहाँ कुछ मुख्य खतरे दिए जा रहे हैं –

- पर्यावरणीय प्रभाव रू बांधों का निर्माण अक्सर नदियों और जलधाराओं के प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव डालता है। बांधों के कारण जलधाराएं और नदियां अपने प्राकृतिक पथ से हटने के खतरे में हो सकती हैं, जिससे पानी की आपूर्ति और बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है।
- सामाजिक प्रभाव रू बांधों के निर्माण से लोगों को अपने गाँवों या परिसर से पलायन करना पड़ सकता है, जो उनके समाजिक और आर्थिक जीवन पर असर डाल सकता है।
- जलमार्गों का प्रभाव रू बांधों का निर्माण जलमार्गों पर भी प्रभाव डाल सकता है। बांधों की वजह से जलमार्गों पर पानी का स्तर बढ़ सकता है या उसमें परिवर्तन आ सकता है, जिससे नौकायन की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- जल प्रदूषण रू बांधों के क्षेत्र में जल प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि बांधों के निर्माण से निकलने वाले टॉक्सिक रसायन और बाहरी कचरे का प्रभाव भी हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन – बांधों का निर्माण जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव डाल सकता है। बांधों के निर्माण से क्षेत्रीय जलमार्गों में परिवर्तन आ सकता है, जो विकासीय कार्यक्रमों और समुदायों के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है।

इन खतरों को समझकर और सही प्रबंधन के माध्यम से हम बांधों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि इसके असर को कम किया जा सके और पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखा जा सके।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहा है कि ग्राम स्तर पर लोग खुद अपने विकास तथा सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी लें।ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के काम कर सकें, लोगों को पेयजल, सड़क, साफ–सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम मूलभूत सुविधायें दे सकें इसके लिये संसाधनों की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत को संसाधन कहां कहां से मिलते है, कितना संसाधन मिल सकता है, कैसे मिलता है, किन कामों के लिये मिलता है आदि की जानकारी पंचायतों के प्रतिनिधियों को होना आवश्यक है ताकि वे अपनी ग्राम पंचायत के लिये आवश्यक संसाधन जुटा कर अपने क्षेत्र की जनता को सुख सुविधायें प्रदान कर सकें।

ग्राम पंचायत की आमदानी के स्रोत

ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं –

⇨ अपने स्वयं के संसाधन से होने वाली आय।

⇨ बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली अनुदान राशियां ।

स्वयं के संसाधनो से पंचायतों की आय

अनिवार्य कर

1. ऐसी भूमि/भवन जिनका बाजार मूल्य रू. 6000 से अधिक हो उन पर संपत्ति कर धारा 77(क)

2. हॉस्टल सुविधा पाले शैक्षणिक संस्थाओं (स्कुल–कॉलेज) पर कर
3. निजी शौचालय जो सरकारी मदद से न बने और जिनकी सफाई ग्रामसभा अधिकरण द्वारा की जाती है। उन पर कर।
4. ग्रामसभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जो आजीविका कमाता है उस पर कर लगाना।

अन्य कर

1. ग्राम पंचायत के क्षेत्र में यदि कोई पर्यटन स्थल है तो वहां आने वाले पर्यटकों पर एन्ट्री फीस, पार्किगं शुल्क
2. यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई मेला पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वही लगाई जाने वाली खाने पीने की दुकाने, खिलोने आदि की दुकाने, लाइसेंस फीस ली जा सकती है।
3. ग्राम सभा के अन्दर चारागाहो पर जानकारों को चराने के लिए फीस
4. ऑटो/तांगा स्टैण्ड पर फीस
5. बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं पर रजीस्ट्रेषन फीस वसूली।

पंचायत की आय में वृद्धि हेतु सुझाव

1. सरकारी भूमि पर फलदार वृक्षारोपण और उनसे आय
2. कुटीर उधोग से कमाई जैसे बांस की टोकरी बनाना
3. मछलीपालन, मूर्गीपालन, सुअरपालन, जैविक खाद
4. दूध डेयरी, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को विकसित कर आय सृजन
5. सर्कस, सिनेमाघर आदि पर मनोरंजन कर कुष्ती, देगल, प्रदर्शन खेल आयोजन आदि से आय अर्जन
6. पंचायत की भूमि को कृषि कार्य अथवा चारागाह आदि हेतु प्रयोग कर ठेके पर देना
7. बूचडखाने पर लाइसेंस फीस
8. कोल्ड स्टोरिज, भंडारगृह, वेयर हाऊस की व्यवस्था पर कर
9. पंचायज क्षेत्र में स्थापित बड़े उधोग को अनुमोदित देते समय ग्राम सभा द्वारा कर की बाध्यता रखी जा सकती है।
10. यदि कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य करती है जो सार्वजनिक हित में हो और इसके लिए सरकारी अनुदान नहीं मिलता हो तो ग्राम पंचायत अधिभार या सरचार्थ लगाकर कमाई कर सकती है।

ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, को क्या चाहिए :–

1. जनपद स्तर से ग्राम पंचायत सरपंच पंच का बुनियादी **उन्मुखीकरण–फाउंडेशन** प्रषिक्षण
2. ग्राम सभा बैठक का आयोजन
3. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता के सहयोग से कर अधिरोपण के प्रावधान एवं उनसे होने वाले लाभो का प्रचार प्रसार
4. कर योग्य संपत्ति, कर –शुल्क दाताओं का प्रभावी चयन, पंच द्वारा करों की वसूली में मदद करना।

अगर वे अपनी भुमिका सही तरीके से नही निभाते तो व्यक्तिगत रूप से दण्ड का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कर अधिरोपण एवं आय अर्जित न कर पाने पर विकास कार्यो में अन्य पंचायत की तुलना में पीछे रह सकते है

योजना का सही तरीके से कियान्वयन करने से ग्रामसभा पर सकारात्मक प्रभाव :–

1. अधिक आय प्राप्ति से शासन पर निर्भरता में कमी आयेगी।
2. स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता से जीवनस्तर में वृद्धि।
4. अधोसंरचना विकास में क्रान्तिपूर्ण वृद्धि।
5. महिलाओं के प्रतिनित्वि में वृद्धि से विकास में पहल।

योजना का सही तरीके से कियान्वयन नहीं करने से उनकी ग्राम पंचायत पर नकारात्मक प्रभाव

1. विकास की गति में अवरोध
2. प्राकृतिक अथवा पंचायत के अन्तनिहित साधनों का प्रयोग न हो पाना।
3. समय संगत कार्य संभव न हो पाना।

पंकज राय,
संकाय सदस्य

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्थान में योग दिवस का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर में 21 जून 2024 को योग दिवस मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है इसकी स्थापना 2014 मे संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग के सार्वभौमिक लाभों को मान्यता देने के लिए की गई थी यह दिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए योग के समग्र दृष्टिकोण के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है।यह दिवस सभी आयु और पृष्ठभूमि के लोगों को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जीवन में सामंजस्य और संतुलन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

इस वर्ष आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिए ''स्वयं और समाज के लिए योग'' थीम समर्पित की है। यह व्यक्ति के लिए, स्वयं के समग्र विकास के लिए और बड़े पैमाने पर समाज के लिए है।

, उक्त कार्यक्रम में संस्थान के संचालक श्री के.बी. मालवीय, उपसंचालक डॉ. ए.के. अम्बर, अधीक्षक श्री राजकुमार सिंह, संकाय सदस्य श्री नीलेश राय, डॉ. त्रिलोचन सिंह, श्री अभिषेक नागवंशी सहित समस्त स्टाफ एवं प्रशिक्षण प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

राजकुमार सिंह ठाकुर
अधीक्षक